

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक एफ-३१ (३०) विविध/जविप्रा/राम/२०१० / धी- ४८२९ दिनांक :- १०.०३.१०

आदेश

विषय :- सूचना के अधिकार अधिनियम २००५ की धारा ४(१) का, व ४(१) ख के प्रावधान-प्रत्याहार प्रकल्पित कारबंड जाने वाले निदेशिका हेतु आवश्यक सूचनाएं जपलाई कराने बाबत।

एकाधिक विषयान्तर सूचना के अधिकार अधिनियम, २००५ की धारा ४(१) के में उल्लिखित प्रावधान-प्रत्याहार प्रकल्पित कारबंड जाने वाले निदेशिका के प्रावधान-प्रत्याहार प्रकल्पित कारबंड जाने वाले निदेशिका के प्रावधान-प्रत्याहार प्रकल्पित कारबंड जाने वाले निदेशिका का सूचीकृत करने वाला काम्यूटरीकृत दस्तके शिखिन प्रणालियों से भूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से आम जागरिकों की पहुँच तक पहुँच जाने की कारबंडी सुनिश्चित किये जाने हेतु निरीक्षित किया जाता है।

इसी अनुसार अधिनियम की धारा ४(१) ख में वर्णित १७ विन्दुओं पर प्रावधान-प्रत्याहार (प्रतिलिपि संलग्न) अथवे प्रकोष्ठ/शाखा में दररथापेत कर्मचारियों/ अधिकारियों के आवश्यक विवरण के साथ-भाषण अन्य विन्दुओं पर सूचना ७ विवरण में तैयार फरक्कर अधिक आवृक्ष (प्रशासन) को दीखे उपलब्ध कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करावे जिससे प्राप्त सूचना का संकलन करावा जाकर निदेशिका का राग्रह पर प्रकाशन कराया जाए दें।

इसे सर्वोच्च ग्राह्यता दें।

संलग्न - उपलब्धताप्रत्यक्ष

प्रतिलिपि सूचीय व आवश्यक कार्यवाही हेतु देखिए है :-

1. निर्जी सहायक, जयपुर विकास आयुक्त/विविद, वा सूचनाथ।
2. उप महानीरीकाक (मुखिया), जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (अनियान्त्रिकी/परिवोजना/आयोजना/दिस/विधि), जविप्रा, जयपुर।
4. अधिकारित आयुक्त (भूमि/परिवग/गृही/एलघी०सी०), जविप्रा, जयपुर।
5. मुख्य नियन्त्रक (प्रदलन), जविप्रा, जयपुर।
6. अधिकारित मुख्य अधिकार प्रश्न एवं द्वितीय, जविप्रा, जयपुर।
7. सल्लहगार (स्थिर रोड), जविप्रा, जयपुर।
8. सर्किल अधिकारता (विधि)/सर्विल अधिकारा (द्वितीय)/सर्किल अधिकारा (तृतीय)/सर्किल अधिकारता (वित्तीय)/सर्किल अधिकारता-पंचान एवं तकनीकी सहायक निदेशक (अनियान्त्रिकी/परिवोजना/सर्किल अधिकारता-पी०८८०५०५०/ सर्किल अधिकारता-रिय एवं प्रोजेक्ट जाकिया, जयपुर।
9. विरिच नगर नियोजक (वी०८००८०८०)/ए०८०५८/प्रोजेक्ट, जाकिया, जयपुर।
10. समस्त उपायुक्त जोन-१ से १४/रामाच प्रशासन/रटोर/जॉच/वाहन/आगाव अभियोग प्रकोष्ठ/पी०८०८०८०, जविप्रा, जयपुर।
11. उप निदेशक-(व्यय एवं बजट)/लेखाधिकारी (भुगतान), जविप्रा, जयपुर।
12. मुख्य अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
13. अधिकारित निदेशक (राजस्त एवं संचाल निरतारण), जविप्रा, जयपुर।
14. समूरत जोनल अधिकारी/विभिन्न उदान विझ, जविप्रा, जयपुर।
15. विशेषाधिकारी (प्राचार) विशेषाधिकारी संस्थान विकास/संयुक्त रजिस्ट्रार (राहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
16. रक्षित पदार्थकी।

अधिकारी (जाकिया) (प्रशासन)